

07/03/26

AP0 340) अधिपुत्राणा अनु०  
जिनकी ह्य. मा. का प्र. पत्र  
जारी आद्यवक्ता पेश हुआ जो  
केवल आज के लिये स्वीकृत है।  
पाने से गवाह की तामील बाप  
या अफस प्राप्त नहीं हुए हैं।  
प्रकरण पुराना है परन्तु पाने की  
और से तामील पर ध्यान नहीं है।  
प्रकरण में एक गवाह शेष है।  
तामील आवश्यक रूप से करवाई  
जावे। गवाह का प्रबन्धना तलब  
क्रिया जावे।

पत्र) - वास्ते साधन अधिपुत्राणा  
दिनांक 19/3/26 को पेश हो।



न्यायिक मजिस्ट्रेट  
महक जिला दौसा (मज.)